कार्यालय जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।

पत्रांकः— /निर्माण/जि0पं0/2020—21 दिनांक 06 मार्च, 2021

—:ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण सूचनाः—

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा वर्ष 2021—22 हेतु निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है, जो जिलाधिकारी/प्रशासक/अपर मुख्य अधिकारी को सम्बोधित होंगे। यह समस्त पंजीकरण/नवीनीकरण वर्तमान में प्रचलित निर्माण नियमावली 1984 के प्राविधानों तथा शासनादेश सं0 819—33—2007—190जी/2006 दिनांक 10.04.2007 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धातों, शासनादेश सं0 8/2017/ 836/23—7—17—176(सा0)/ 06 लो0अनु0—7 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2017, शासनादेश सं0 05/2019/2902/33—2—2019—198जी/ 2018 दिनांक 16 अगस्त, 2019 एवं शासनादेश सं0 1488/33—2—2020—80जी/2000 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुरूप किये जायेंगे। उपरोक्त से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 22.03.2021 तक आमन्त्रित किये जाते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे।

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारुप (टी—5) का कम से कम रु0 15 लाख का वैध हैसियत प्रमाण पत्र।
2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारुप (टी—4) पर ठेकेदारी हेतु वैध चरित्र प्रमाण—पत्र।
3. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण—पत्र।
4. जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण—पत्र (जी0एस0टी0 नम्बर सहित)।
5. नवीन पंजीकरण हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यदायी संस्था व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
6. इस आशय का हलफनामा (नोटरी) कि आवेदनकर्ता जिला पंचायत, फर्रुखाबाद के मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगणों/अधिकारियों का निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार नहीं है।
7. पंजीकरण अवधि के दौरान हैसियत/चरित्र प्रमाण—पत्र की बैधता समाप्ति होने पर पंजीकरण वैध नहीं रहेगा।
8. किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड होने की दशा में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे (स्वप्रमाणित प्रमाण—पत्र)
9. श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण—पत्र।
10. स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज 02 अदद नवीनतम फोटो।
11. स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति।
12. आवेदनकर्ता को डिजिटल सिग्नेचर प्रस्तुत करना होगा।
13. पंजीकरण/नवीनीकरण का सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति उपरान्त निर्धारित स्थायी जमानत रु0 1,00,000/— जो अपर मुख्य अधिकारी के पद नाम से बन्धक होगी जमा करना होगा। ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण फार्म शुल्क रू0 2,500/— रू0 एवं पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क 10,000/— रु0 होगा।

नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु फार्म निर्धारित शुल्क देकर कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अन्य जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, उक्त सूचना www.farrukhabad.up.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। यह भी सूचित करना है कि जिला पंचायत, फर्रुखाबाद में भविष्य में होने वाली समस्त निविदायें ई—टेण्डरिंग के माध्यम से की जायेगी।

अभियन्ता
जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।

जिलाधिकारी/प्रशासक
जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।

पृष्ठांकन सं0:— 1237 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः—

1. जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय, फर्रुखाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान" को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उपरोक्त विज्ञप्ति सरकारी दरों के अनुसार कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
4. जिला पंचायत, फर्रूखाबाद के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ ।
5. कैशियर जि0 पं0, फर्रूखाबाद को इस निर्देश के साथ कि अधोहस्ताक्षरी की बिना अनुमति के नवीनीकरण शुल्क जमा न करें।
6. कर निरीक्षक/कर समाहर्ता, जिला पंचायत, फर्रूखाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति बगैर किसी भी ठेकेदार को नवीनीकरण शुल्क वर्ष 2021—22 के लिये जमा न करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित की अपनी बेवसाइट में उपरोक्त विज्ञप्ति अपलोड करने का कष्ट करें।
9. नाजिर जिला पंचायत फर्रूखाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, फर्रूखाबाद।